राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–243/2012

विनोद असवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचातीराज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अति.योजना समंवयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.05.2008 के द्वारा ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर ग्राम पंचायत वल्लभनगर में नियुक्ति दी गई थी, जिस पर अपीलार्थी ने 26.05.2008 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत ग्राम पंचायत वल्लभनगर में नाडी निर्माण का प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति अपीलार्थी की नियुक्ति से पूर्व 2007 में ही दी जा चुकी थी। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात नाडी निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें 637276/– रुपये का निर्माण किया गया अंकित है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.02.2012 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह लिखा कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति भीण्डर की ग्राम पंचायत वल्लभनगर द्वारा त्रिलोक जी का खेडा मजार में निजी खातेदारी की जमीन पर तलाई से निर्माण करने की शिकायत की जांच इस कार्यालय के पत्र कमांक 8432–33 दिनांक 13.01.2012 के द्वारा दल गठित करके करवाई गई। जांच दल के द्वारा ग्राम पंचायत बल्लभनगर पंचायत समिति भीण्डर के लेखा एवं कार्यों की जांच एवं सत्यापन किया गया दल की रिपोर्ट के अनुसार कार्यों में पाई

गई गंभीर अनियमितता पर राशि 637276/– वसूली योग्य बनती है। इस प्रकार उपरोक्त वसुली योग्य राशि में से 212426/– रुपये की वसुली अपीलार्थी से किये जाने के आदेश पारित किये गये, जो अनुलग्नक–4 है। अपीलार्थी की ओर से नोटिस के जवाब में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया एवं उसके बाद अपीलार्थी को पुनः वसुली का अंतिम नोटिस जारी किया गया, जो अंतिम नोटिस दिनांक 05.04.2012 को जारी किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी से गलत रूप से वसुली की जा रही है, क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति ग्राम सचिव के पद पर दिनांक 26.05.2008 को हुई थी, जबकि मनरेगा के कार्य के लिए प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति पूर्व मे वर्ष 2007 में जारी की जा चुकी थी। निर्माण के दौरान भी जिन अधिकारियों द्वारा कार्य का ब्योरा लिया गया तो उनके द्वारा भी कार्य को सही बताया गया, जिसके आधार पर उपयोगिता पत्र जारी किया गया है। समस्त कार्य जनहित में हुआ है, जिसके संबंध में वसुली किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि वसुली से पूर्व विस्तृत में कोई जांच नहीं की गई है। ऐसे में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जांच कमेटी के संबंध में अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही जांच रिपोर्ट अपीलार्थी को दी गई। ऐसे में अपीलार्थी से वसुली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर की जा रही है।

2. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन है कि वसुली के नोटिस से स्पष्ट है कि जो निर्माण कार्य हुआ है, वह जनहित में न होकर निजी खातेदारी की जमीन पर तलाई का निर्माण किया गया है। ऐसे में वसुली की कार्यवाही की जाना उचित है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की नियुक्ति 26.05.2008 को हुई थी। निर्माण कार्य दिनांक 12.12.2011 को पूरा होकर उसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के सेवा में रहने के दौरान निर्माण कार्य किया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–7) से स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्तियों में अपीलार्थी के भी हस्ताक्षर हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि निर्माण कार्य के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी नही हों। जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के संबंध में प्रश्न है तो

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया जाकर उसके पश्चात ही अंतिम वसुली का नोटिस दिनांक 05.04.2012 जारी किया गया है। अंतिम वसुली का नोटिस दिनांक 05.04.2012 (अनुलग्नक–6) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा चुका है। चुंकि नोटिस में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात अंतिम वसुली का नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रकरण में अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही किये जाने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)